

## आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में सहायता पर नर्णय लेने के लिये हरियाणा पैनल

### चर्चा में क्यों?

हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल के अनुसार, राज्य सरकार आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं/घटनाओं से नपिटने के लिये महत्त्वपूर्ण कदम उठा रही है।

### मुख्य बंदि:

- ऐसे मामलों में मुआवज़ा नरिधारति करने के लिये सभी ज़िलों में डपिटी कमश्नर की अध्क्षता में एक समति की स्थापना की गई है।
- समति में पुलसि अध्क्षक या पुलसि उपाध्क्षक (यातायात), उप-वभागीय मजसि्ट्रेट और मुख् चकित्सि अध्क्कारी के एक परतनिधि जैसे सदस्य शामिल हैं।
  - यह समति ऐसे मामलों में मुआवज़े पर नर्णय लेते समय मोटर वाहन अधनियम, 1988 के दशानरिदेशों और मानकों का पालन करेगी।
  - नर्णय संबंघति वभाग के परमुख सचवि या NHAI (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राध्क्करण) के परयोजना नदिशक को भेजा जाएगा, जनिहें छह सप्ताह के भीतर दावेदार को मुआवज़ा देना होगा।
- मुआवज़े के उद्देश्य से आवारा पशुओं में गाय, बैल, कुत्ते, गधे, नीलगाय और भैंस जैसे पशु शामिल होते हैं।
- चंडीगढ उच्च न्यायालय ने मुआवज़े की राशानरिदिष्टि की है, जैसे कुत्ते के काटने पर 10,000 रुपए और कुत्ते के काटने से घायल होने पर न्यूनतम 20,000 रुपए।
- ऐसी दुर्घटनाओं के लिये मुआवज़ा परदान करने हेतु 'दीन दयाल अंत्योदय परविर सुरक्षा योजना' पहले से ही चल रही थी।

### दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परविर सुरक्षा योजना

- हरियाणा सरकार ने वत्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 'दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परविर सुरक्षा योजना' शुरू करने की घोषणा की।
- इस योजना के तहत परविर सूचना डेटा रपिऑजिटरी (FIDR) में सत्यापति डेटा के आधार पर, परविर के 6 वर्ष से अध्कि आयु के सदस्य की मृत्यु या स्थायी दवियांगता पर साथ ही जनिकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम हो उन्हें 60 वर्ष की आयु तक वत्तीय सहायता परदान की जाएगी।
- यह योजना मृत्यु या स्थायी दवियांगता के समय व्क्त्की उमर के आधार पर सहायता परदान करेगी।